न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 15 सन 2020
अनवान :–

1. साहबराम पुत्र हरिसिह जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 07/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 76/72 की कुल 6.3250हैक सयुक्त तौर से 1/6 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र हरीसिह दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सुभाष पुत्र हरीसिह दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम साहबराम पुत्र हरिसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम साहबराम पुत्र हरिसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि जो वर्तमान में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र हरिसिह के स्थान पर साहबराम पुत्र हरिसिह संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्राथी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 76/72 की कुल 6.3250हैक सयुक्त तौर से 1/6 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र हरीसिह दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सुभाष पुत्र हरीसिंह दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम साहबराम पुत्र हरिसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम साहबराम पुत्र हरिसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 76/72 की कुल 6.3250हैक्ट सयुक्त तौर से 1/6 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र हरीसिह दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम साहबराम पुत्र हरिसिह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम साहबराम पुत्र हरिसिह दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत मुन्सरी के प्रमाण पत्र के अनुसार भी प्रार्थी का सही नाम साहबराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों व सरंपच ग्राम पंचायत मुन्सरी प्रमाण पत्र एवं पेरोकार राज को ऐतराज पेश नही करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि चक 8 बारानी के खाता संख्या 76/72 की कुल 6.3250हैक्ट सयुक्त तौर से 1/6 भूमि में अंकित प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र हरिसिह के स्थान पर साहबराम उर्फ सुभाष पुत्र हरिसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/136 LRA/65 दिनांक :– 7.9.20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 15/2020 अनवानी साहबराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. साहबराम पुत्र हरिसिह जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 15/2020 अनवानी साहबराम बनाम सरकार में दिनांक 07/9/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 8 बारानी के खाता संख्या 76/72 की कुल 6.3250हैक्ट सयुक्त तौर से 1/6 भूमि में अंकित प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र हरिसिह के स्थान पर साहबराम उर्फ सुभाष पुत्र हरिसिह संशोधन किया जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner